फर्द अहकाम

(नियम (26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय

सरकार बनाम राधामोहन / भगवानसहाय

किस्म मुकदमा दावा मु० नं० 2/22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.1.22	दावा अधिवक्ता धर्मसिंह बैरवा द्वारा पेश। दर्ज कर तलबी की जावे। वास्ते इन्तजार तामील दि० 11.1.22 को पेश हो। (initials)	
11.1.22	पत्रावली पेश। प्रति. सं. 1 ने हाजिर होकर सहमति व्यक्त की। जवाब स्टेट प्राप्त। बहस दावा सुनी गयी। निर्णयहेतु पत्रावली 18.1.22 को पेश हो। (initials)	प्रतिवादी
18/01/22	पत्रावली पेश। बहस दावा दि. 11.1.22 को सुनी जा चुकी है। समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। निर्णयहेतु पत्रावली दि. 2.2.22 को पेश हो। (initials)	भगवानसहाय वादी
2.2.22	पत्रावली निर्णय हेतु पेश। वाद के तथ्यों व सहमति पर गौर किया गया। वाद अनुसार वादीगण की खातेदारी भूमि ग्राम हीगंवा के खाता सं. 120 ख.नं. 1227/.78 हे. है तथा प्रति. 1 की खातेदारी खाता सं. 88 रकबा 2.40 हे. है। वाद अनुसार ख.नं. 1227 साबिक ख.नं. 1032 से बना है। वाद अनुसार भू-प्रबंध विभाग द्वारा गलत नक्शा तरमीम व मौका स्थिति के विपरीत नये ख.नं. कायम किये है। वादी का साबिक ख.नं. 1032 था तथा वह नये ख.नं. 1225 व 1226 पर काबिज है जबकि प्रति. 1 का साबिक ख.नं. 1031 था तथा वह 1227 (नये) पर काबिज काश्त है। जवाब स्टेट द्वारा भी इसे स्वीकार किया गया है। अत: ग्राम हीगंवा के ख.नं. 1225/.01, 1226/.77 की खातेदारी वादीगण के नाम व ख.नं. 1227/.43 की खातेदारी प्रति. 1 के नाम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते है।	राधामोहन गुप्ता

(रणजीत सिंह)
2.2.22

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)